

समावेशी ग्रामीण विकास और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम

Batti lal meena

Assistant Professor political science
Government College Mandawar, Dausa Rajasthan

सार :-

भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए परिसम्पत्तियों का विकास भी सम्मिलित है गांव की अधिकांश परिसम्पत्तियां प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, भूमि, जंगल व पालतू पशुओं के ऊपर निर्भर है। इन प्राकृतिक संसाधनों के समुचित विकास के साथ सभी रोजगार का सृजन होता है। ग्रामीण विकास एक ऐसी व्यूहरचना है जो निर्धन ग्रामीणों के आर्थिक एवं सामुदायिक जीवन को उन्नत करने के लिए बनाई गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम को सितम्बर 2005 में मनरेगा अधिनियम के अन्तर्गत लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिन का गारण्टी युक्त अकुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना प्रमुख उद्देश्य रखा गया। बाद में 2012-13 में दिनों की संख्या बढ़ाकर 150 कर दी गयी। मनरेगा से संबंधित अधिनियम में रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान है, ताकि रोजगार प्राप्त करने वालों में कम से कम एक तिहाई भाग महिलाओं का है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को मनरेगा के अन्तर्गत मिला दिया गया। वर्ष 2007-08 में मनरेगा का विस्तार कर इसे 330 जिलों में लागू कर दिया गया। वर्तमान में मनरेगा का क्रियान्वयन सभी ग्रामीण जिलों में किया जा रहा है। मनरेगा केन्द्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो ग्रामीण निर्धन लोगों के जीवन को प्रभावित करता है तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। वर्ष 2007-08 में 3.39 करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार गारण्टी दी गयी। वर्ष 2009-10 के दौरान 160 करोड़ मानव दिवस के तुल्य रोजगार दिया गया। मनरेगा हेतु वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 के लिये क्रमशः 39,100 करोड़ एवं 43,009 करोड़ रु का बजट आवंटित किया गया तथा जिसे बढ़ाकर 2016-17 में 48,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। मनरेगा ग्रामीण परिवारों के लिये रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एक समयबद्ध रोजगार आवंटन करता है तथा ग्रामीण क्षेत्र में जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रस्तुत शोध-पत्र में मनरेगा कार्यक्रम का विस्तार से मूल्यांकन किया गया है।

परिचय:-

विकासशील से विकसित देश बनने की प्रतिस्पर्धा में आज भारत भी अग्रसर है। इसी के चलते भारत सरकार ने बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन करने हेतु वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम तैयार किया गया तथा 2 फरवरी 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 लागू किया गया। वर्तमान में इस अधिनियम का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम कर दिया गया

मनरेगा का उद्देश्य देश की ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारण्टी युक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। वर्ष 2014-15 में दिनों की संख्या 150 कर दी गई है। इस योजना का एक

उद्देश्य भारत के ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी रेखा की परिधि से बाहर लाना है। मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के सृजन हेतु अधिकांश कार्य दीर्घकालीन रूप से अनुपयोगी है। मनरेगा के अन्तर्गत अधिकांशतः ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं को पुनरुद्धार, नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य कराया जाता है।

भारत में ग्रामीण विकास एक ऐसी ब्यूरचना है जो निर्धन ग्रामीणों के आर्थिक एवं सामुदायिक जीवन को उन्नत करने के लिए बनाई गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्म-पोषित बनाना शामिल है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना ही ग्रामीण विकास है। जिसके अन्तर्गत कृषि विकास, ग्रामीण गृह निर्माण योजना, स्वास्थ्य शिक्षा संचार, सामाजिक आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आदि बातें सम्मिलित हैं। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश में रोजगार प्रदान करने के लिए महानरेगा योजना चलाई जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में सहायक है। जो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

मनरेगा में हर 3 महीने के भीतर सामाजिक अंकेक्षण कराने का निर्देश दिया गया है। उम्मीद है कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने से आने वाले समय में यह कानून और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पांच हजार से कम जनसंख्या, जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो तथा जनसंख्या का घनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो उसे ग्रामीण क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। यदि जनसंख्या का पांच हजार से अधिक हो तथा उसके क्षेत्र के निवासियों का व्यवसाय खेती हो तो उसे भी गांव कहते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की व्याख्या मनुष्य व उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अन्तः क्रिया के आधार पर की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम को गतिशील बनाने तथा प्रशासनिक व्यवस्था को उत्तरदायी होने का आधारभूत महत्व है। उल्लेखनीय है, कि यह विचार सरकारी अधिकारियों का या जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए विषय निर्धारित हो एवं इस विषय सूची को जिला सूची के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। इस सूची के स्थानीय महत्व के विषय जैसे कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, समाज एवं परिवार कल्याण, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, सामाजिक वनिकी, ग्रामीण सड़कें तथा ग्रामीण विद्युतीकरण आदि शामिल किए जा सकते हैं।

उद्देश्य :-

- प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि ग्रामीण विकास की पूर्ति महानरेगा में किस सीमा तक हुई है।
- इस शोध पत्र का उद्देश्य ग्रामीण विकास में महानरेगा की योजनाओं क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है।
- इस शोध पत्र में ग्रामीण एवं मनरेगा से संबंधित बजट का विश्लेषण किया गया है।
- प्रयास यह रहेगा कि अध्ययन को वास्तविक धरातल पर अधिक विश्वनीय एवं जनोपयोगी बनाना।

शोध प्रविधि:-

प्रस्तुत प्रस्ताव आनुभाविक अध्ययन है लेकिन साथ ही वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पर भी बल दिया गया है। संकलन उपलब्ध साहित्य, सरकारी प्रकाशन, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा देश के विभिन्न महत्वपूर्ण पुस्तकालयों में उपलब्ध सामग्री से किया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम मनरेगा:—

किसी देश की अर्थव्यवस्था रोजगार संसाधनों की उपलब्धता एवं उनके कुशल विदोहन पर निर्भर करती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग ऐसे असंगठित श्रम समूह का होता है, जो किसी भी नियमित नियोजन पर लगा हुआ नहीं होता है। संख्या की दृष्टि से यह श्रम शक्ति उस अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। संस्थानों में लगे हुए मजदूर और कर्मचारी श्रम संगठन बनाकर कुछ हद तक अपने हितों की रक्षा करने में सफल हो जाते हैं। पर प्रतिदिन काम की तलाश में रहने वाले असंगठित मजदूर रोजगार के किसी भी पहलू पर अपनी बात रखने की स्थिति में नहीं होते हैं। बेरोजगारी की दशा में तो स्थिति और भी भयावह होती है। 23 अगस्त 2005 को भारत की संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 पारित करके भारत के विधिक इतिहास में सामाजिक आर्थिक न्याय की दृष्टि से एक युगान्तकारी पहल की है। इस अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण भारत में रोजगार की उपलब्धता व उसकी सुनिश्चितता को न केवल वधिक आधार प्रदान किया गया है। अपितु उसके क्रियान्वयन हेतु एक उपयुक्त ढांचे की व्यवस्था भी की गई है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक अकुशल श्रम करने के इच्छुक परिवारों के व्यस्क सदस्यों को प्रतिवर्ष 150 दिन के रोजगार का अधिकार प्रदान किया जाना है। इससे ग्रामीण भारत में रोजगार की उपलब्धता एवं उसकी सुरक्षा की स्थिति को बल मिलेगा।

रोजगार की उपलब्धता के साथ साथ अधिनियम से अनेक दूसरे प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं। जैसे— क्षेत्रों में उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं उनका रख रखाव, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, पर्यावरण संतुलन ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण आदि। इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होने से शहरों की और पलायन की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा।

अधिनियम के अन्तर्गत रोजगार गारण्टी: इसमें रोजगार की गारण्टी निम्न प्रकार दी गई है—

- प्रत्येक परिवार के अकुशल शारीरिक मजदूरी के लिए सहमत व्यस्क सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 150 दिनों के रोजगार की गारण्टी है इस प्रकार एक परिवार एक वर्ष में कम से कम 150 दिनों का काम प्राप्त करने का हकदार होगा।
- इस के लिए परिवार के पंजीकृत होना होगा। प्रत्येक पंजीकृत परिवार के एक "जॉबकार्ड" दिया जायेगा। यह रोजगार प्राप्त करने के हक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
- जॉब कार्ड प्रत्येक पंजीकृत परिवार को पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा। इस पर फोटो ग्राफ भी होगा। जॉबकार्ड 5 वर्ष के लिए वैध होगा तथा इस पर पंजीकरण संख्या लिखी हुई होगी।

मनरेगा में कार्य के लिए आवेदन:—

रोजगार प्राप्त करने के लिए पंजीकृत परिवार के प्रत्येक व्यस्क सदस्य को यह अधिकार है। कि वह ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित आवेदन है और तारीख युक्त आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करे। आवेदन लगातार कम से कम 14 दिनों के लिए किया जाना चाहिए।

महिलाओं को प्राथमिकता:— इस अधिनियम में रोजगार प्रदान करने में महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान है ताकि रोजगार प्राप्त करने वाले में कम से कम एक तिहाई भाग महिलाओं का हो।

मनरेगा में समयबद्ध रोजगार आंबटन: इस संबंध में निम्न प्रावधान है।

- आवेदन करने अथवा रोजगार की मांग करने के 15 दिन के अन्दर ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार दिया जायेगा।
 - ग्राम पंचायत, पत्र के माध्यम से आवेदको को 15 दिन के अन्दर यह सूचित करेगी कि कब और कहा काम के लिए उपस्थित होना है। ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी एक आम सूचना लगाई जायेगी।
- मनरेगा के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी की गारण्टी:** इस संबंध में निम्न प्रावधान है।
- राज्य कृषि श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी।
 - मजदूरी का भूगतान कार्य पूर्ण होने के 2 सप्ताह के भीतर दिया जायेगा।
 - कार्य आवेदक के निवास स्थान से 5 किमी की परिधि के भीतर दिया जायेगा। यदि उसके बाहर रोजगार दिया जाता है तो 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जायेगी।
 - प्रत्येक कार्यस्थल पर पीने का पानी, छाया विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध कराई जायेगी।
 - यदि कार्यस्थल पर लाए जाने वाले बच्चों की संख्या 5 से अधिक है तो किसी व्यक्ति को बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जायेगी और ऐसे व्यक्ति को अन्य श्रमिकों की तरह किए गए कार्यों का भूगतान किया जायेगा।
 - कार्यस्थल पर रोजगार के दौरान शारीरिक क्षति होने पर श्रमिक को राज्य सरकार द्वारा मुक्त इलाज की सुविधा दी जायेगी।

खोज एवं सुझाव:-

भारत में ग्रामीण क्षेत्र का समुचित विकास करने के लिये विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वयन किया गया। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की शुरुआत अन्त्योदक कार्यक्रम से हुई जिसे बाद में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जवाहर रोजगार योजना, रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ,प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आदि प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम रहे। परन्तु 2 फरवरी 2006 को ग्रामीणरिवारों को 100 दिन का गारण्टी युक्त रोजगार देने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की शुरुआत की गयी अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम-मनरेगा के नाम से जाना जाता है तथा दिनों कि संख्या बढ़ाकर 150 की गई है। वर्ष 2008 – 09 में इसे देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया है। मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल शारिरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्य को कम से कम 150 दिनों का रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आजीविका प्रदान करना है। मनरेगा हेतु वर्ष 2012-13 में मनरेगा कार्यक्रम के लिए कुलराशि 43009 करोड रू उपलब्ध थी ग्रामीण परिवारों को कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है। परन्तु सरकार को इस कार्यक्रम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्धारित दिवसों में कार्य पूरा करने अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को कार्यक्रम में शामिल करने समय पर मजदूरी का भुगतान करने एवं संबंधित अधिकारियों की जागरूकता पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जिससे कार्यक्रम को अपने उद्देश्य प्राप्त में सफल बनाया जा सके।

निष्कर्ष :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम मनेरगा केन्द्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो निर्धन लोगो को रोजगार उपलब्ध करवाकर उनके जीवन को प्रभावित करता है तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में शुरू किया गया। वर्ष 2009-10 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है तथा रोजगार दिनों की संख्या बढ़ाकर 150 कर दी गई है। इस अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारन्टी दी जाती है।

अधिनियम में महिलाओं को प्राथमिकता समयबद्ध रोजगार आबंटन बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न्यूनतम मजदूरी की गारन्टी स्थायी परिसम्पतियों का सृजन आदि सम्मिलित है। वर्ष 2008 -09 में 4.51 करोड परिवारों के सदस्यों को रोजगार दिया गया। वर्ष 2009 -10 के दौरान 160 करोड मानव दिवस के तुल्य रोजगार दिया गया। वर्ष 2012 -13 तथा 2016-17 के लिए क्रमशः 43009 तथा 48000 करोड रूपये का बजट आवंटित किया गया। निष्कर्ष के रूप में मनेरगा रोजगार गारन्टी हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थसूची :-

- वार्षिक रिपोर्ट 2009 -10 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पृ 165
- वार्षिक रिपोर्ट 2009 - 10 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पृ सं 169
- भारत 2008 प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार पृ 829
- वार्षिक रिपोर्ट 2009 10 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पृ 176
- वार्षिक रिपोर्ट 2016 -17 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।
- डॉ. बी. पी. गुप्ता एवं डॉ. एच आर स्वामी ग्रामीण विकास एवं सहकारीता आरबी.डी. पब्लिशिंग हाउस जयपुर 2015
- डॉ. सुधा काला, पंचायती राज ग्रामीण विकास का राज. कुरुक्षेत्र अगस्त 2008 पृष्ठ 17
- डॉ. बद्री विशाल त्रिपाठी भारतीय गांव प्रगति के पथ पर कुरुक्षेत्र फरवरी 2008 पृ. सं. 30-31
- शिव कुमार एफडीआइ इन सेक्टर इन इण्डिया पालिसी इश्यूज इंडियन जर्नल ऑफ न्यूडाइमेंशन्स वॉल्यूम 3, ईशू 1 आई एम एस एन 2227 - 9876 पृ. 139
- जैनेन्द्र कुमार वर्मा, इम्पैक्ट ऑफ एंट्रीप्रनियोरशिप ऑन इकोनोमिक डेवलपमेंट इन इण्डिया अ क्रिटिकल स्टडी इंडियन जर्नल ऑफ न्यूडाइमेंशन्स वॉल्यूम 3 ईशू 1 आई एस एस एन 2227 - 9876 पृष्ठ 132
- रुद्रदत्त एवं केपी एम सुन्दरम भारतीय अर्थव्यवस्था एस चन्द एण्ड कम्पनी लि. नई दिल्ली चवालीसवा संस्करण 2009 पृ. सं. 14
- राजीव कुमार ग्रामीण विकास के लिए चाहिए नया दृष्टिकोण कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली जनवरी 2009 पृ. सं 14
- शिवकुमार समावेशी विकास में महात्मा गांधी नरेगा की भूमिका रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलोजी वॉल्यूम 5 इश्यू 1 आई एस एस एन 2250 - 1959 पृष्ठ सं 24-25